रेलवे उपमंत्री (श्री सी० सी० रामस्वामी): (क) किसी डाक्टर या अन्धों के लिए किसी मान्य संस्था (recognised institution for the blind) के प्रधान का प्रमाण-पत्र (certificate) देना पड़ता है ।

(ख) और (ग). शुरू में कुछ कठिनाइयों का अनुभव हुआ था । इस तरीके को आसान बनाने के लिए निम्न उपाय किये गये हैं :—

१. नियत प्रमाण-पत्र पेश करने पर अब टिकट बाबू रियायती दर पर टिकट जारी कर देते हैं ।

दूसरी तरह की रियायतों के लिये आम तौर पर प्रधान कार्यालय या डिवीजन के अफसर का रियायत-आदेश पेश करना जरूरी है । इस रियायत-आदेश के लिए पहले उनके यहां अर्जी दी जानी है ।

२ हर बार नया प्रमाण-पत्र लेने और पेश करने की कठिनाई दूर करने के लिए यह तय किया गया है कि किसी गजटेड अफसर, मजिस्ट्रेट या संसद् या राज्य के विधान सभा के सदस्य द्वारा तसदीक की हुई प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि देने पर रियायती टिकट जारी कर दिये जायेंगे । लेकिन टिकट घर पर जांच के लिए मूल प्रमाण-पत्र दिखाना जरूरी है ।

मूल प्रमाण-पत्र जिस तारीख को जारी होगा उससे एक साल तक वैध माना जायेगा ।

३. रियायती टिकट लेने के लिए यह जरूरी नहीं है कि अन्धा व्यक्ति खुद टिकट घर पर जाये ।

४. प्रेस नोट निकाल कर यह बात सविस्तार बतायी गयी कि इन रियायतों के पाने का क्या तरीका है ।

Nagarjunasagar Project

*1002. **Shri Rami Reddy:** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether the Andhra Pradesh Government has made a request for an additional allotment of Rupees four crores for Nagarjunasagar Project for expenditure during the current year; and

(b) if so, whether the amount has been sanctioned?

The Deputy Minister of Irrigation and Power (Shri Hathi): (a) No, Sir. The Nagarjunasagar Control Board has, however, asked for an enhanced allotment. The extent of additional allotment required has not been specified, though a works programme on the basis of a possible allotment of Rs. 10 crores has been drawn up by the Control Board.

(b) No, Sir. There is no possibility at present of any enhancement.

गन्ने की कीमत का चुकाया न जाना

*१००३. **श्री विभूति मिश्र :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री १२ अगस्त, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १४२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गन्ना उत्पादकों को शेष कीमत शीघ्र दिलाने के विषय में विशेषत: ऐसे कारखानों में जहां यह शेष राशी १ लाख रुपये से भी ऊपर है केन्द्रीय सरकार क्या ठोस कार्यवाही कर रही है; और

(ख) क्या सरकार ने कोई ऐसी योजना बनाई है जिससे चीनी की मिलें गन्ना उत्पादकों को भुगतान की तिथि की उचित सूचना दे दिया करें ताकि उन्हें भुगतान में सुविधा हो ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन): (क) राज्य सरकारों पर दबाव डाला जा रहा है कि वह चीनी मिलों से गन्ने की शेष कीमत का भुगतान शीघ्र करवाने के लिये